राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	768 / 2025	पेमाराम चौधरी	1. शासन सचिव, कृषि, राजस्थान जयपुर। 2. आयुक्त, कृषि, कृषि आयुक्तालय, जयपुर। 3. सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, जोबनेर जयपुर। 4. मुकेश चौधरी, कृषि पर्यवेक्षक, मुख्यालय पाटन, सहायक निदेशक कृषि विस्तार, जिला अजमेर।
2.	769 / 2025	कालूराम नेहरा	1. शासन सचिव, कृषि, राजस्थान जयपुर। 2. आयुक्त, कृषि, कृषि आयुक्तालय, जयपुर। 3. सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, झोटवाड़ा, जयपुर। 4. राकेश कुमार यादव, कृषि पर्यवेक्षक, मुख्यालय बीजापुर, सहायक निदेशक कृषि विस्तार, बाली जिला पाली।
3.	770 / 2025	अनिता देवी	1. शासन सचिव, कृषि, राजस्थान जयपुर। 2. आयुक्त, कृषि, कृषि आयुक्तालय, जयपुर। 3. सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, कुचामन सिटी। 4. बनवारी लाल यादव, कृषि पर्यवेक्षक, मुख्यालय बारवा, सहायक निदेशक कृषि विस्तार, बाली जिला पाली।
4.	773 / 2025	बादाम चौधरी	1. शासन सचिव, कृषि, राजस्थान जयपुर। 2. आयुक्त, कृषि, कृषि आयुक्तालय, जयपुर। 3. सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, जोबनेर जयपुर। 4. रचना शर्मा, वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक, मुख्यालय बेरू, सहायक निदेशक कृषि विस्तार, जिला जोधपुर।
5.	775 / 2025	बनवारी लाल कुड़ी	1. शासन सचिव, कृषि, राजस्थान जयपुर। 2. आयुक्त, कृषि, कृषि आयुक्तालय, जयपुर। 3. सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, कुचामन सिटी। 5. पायल राठी, वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक, मुख्यालय सांडवा, सहायक निदेशक कृषि विस्तार, सुजानगढ़, चूरू।
6.	777 / 2025	सन्ती देवी	1. शासन सचिव, कृषि, राजस्थान जयपुर। 2. आयुक्त, कृषि, कृषि आयुक्तालय, जयपुर। 3. सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, कुचामन सिटी। 4. ताराचंद बारूपाल, वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक, मुख्यालय जीरावल, सहायक निदेशक कृषि विस्तार, सिरोही।

प्रस्तुत करने की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 07.02.2025

उपस्थितिः—
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से :

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 768 / 2025 पेमाराम चौधरी बनाम शासन सचिव, कृषि, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

2. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि अपीलार्थी वर्तमान में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर मुख्यालय आईदान का वास, सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, जोबनेर, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से मु. पाटन, सहायक निदेशक कृषि विस्तार, अजमेर में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के स्थान पर किया गया है और निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित के जारी किया गया है। उक्त आदेश निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित करने के उद्देश्य से किया गया है। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 02.10.2010 जारी कर कृषि पर्यवेक्षक तथा सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय समस्त स्टाफ सहित पंचायती राज विभाग के अधीन हस्तान्तरित कर दिया गया है। हस्तान्तरित कार्मिकों के क्रियाकलाप हेतु पंचायती राज क्रियाकलाप नियम 2011 बनाये गये उक्त नियमों में नियम 8(3) में वर्णित किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है। अपीलार्थी के स्थानान्तरण में पंचायती राज विभाग की सहमति नहीं ली गई है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान एवं माननीय अधिकरण द्वारा राजस्थान पंचायती राज क्रियाकलाप नियम 2011 के नियम 8(3) में वर्णित प्रावधानों के विपरीत किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को निरस्त फरमाया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को कृषि पर्यवेक्षक के पद पर मुख्यालय आईदान का वास, सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, जोबनेर, जयपुर में कार्य करने दिया जावे एवं वेतन सहित समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावे।
4. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
5. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है

कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।
7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।
8. मूल आदेश अपील संख्या 768/2025 पेमाराम चौधरी बनाम शासन सचिव, कृषि, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य पत्रावली में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य